सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2025 / 427 दर्ज तिथिः— 18.06.2025

1. पाबुराम पुत्र हकाराम
2. मिश्राराम पुत्र हकाराम
3. मूलीदेवी पत्नी रूपाराम
   जाति भील निवासी पूंजाबेरी तहसील गुड़ामालानी।

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. उम्मेदसिंह पुत्र मोडसिंह
2. करणसिंह पुत्र मोडासिंह
3. जालमसिंह पुत्र आसुसिंह
4. पूनमसिंह पुत्र आसूसिंह
5. हीरसिंह पुत्र आसूसिंह
6. इन्द्रसिंह पुत्र विजयसिंह
7. किशनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
8. गिरधारीसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
9. चन्दनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
10. धनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
11. पदमसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
12. बाबूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
13. हड़मतसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
    जाति राजपुत निवासी लालाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी।
14. किशनाराम पुत्र सदराम
15. नेनाराम पुत्र सदराम
16. सोहनलाल पुत्र सदराम
17. हनुमानराम पुत्र सदराम
18. चनणी देवी पत्नी सदराम
19. लाधुराम पुत्र पैलाद
    जाति विश्नोई निवासी पूंजाबेरी तहसील गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:07:41 IST
Reason: SelfAttested

20. राजूराम पुत्र सदराम जाति विश्नोई निवासी भलीसर तहसील धोरीमना
21. किशनाराम पुत्र सदराम
22. जगमालराम पुत्र पोकराराम
23. नेनाराम पुत्र पोकराराम
24. रूगनाथराम पुत्र पोकराराम
25. लाधुराम पुत्र बुधराराम
    जाति विश्नोई निवासी बोलो का डेर तहसील धोरीमना
26. जेकनराम पुत्र सदराम
27. भागीरथराम पुत्र सदराम
28. बबीदेवी पत्नी सदराम
29. जगमालराम पुत्र ठाकराराम
30. भाखराराम पुत्र ठाकराराम
31. मंगलाराम पुत्र ठाकराराम
32. सुखराम पुत्र ठाकराराम
33. फगलूराम पुत्र जोगाराम
34. ओमप्रकाश पुत्र हीराराम
35. जयकिशन पुत्र हीराराम
36. पूनमाराम पुत्र हीराराम
37. हनुमानराम पुत्र हीराराम
38. राजोदेवी पत्नी हीराराम
39. केसाराम पुत्र पोकराराम
40. गोरधनराम पुत्र पोकराराम
41. साजनराम पुत्र पोकराराम
42. मंगला पुत्र हेमा
    जाति विश्नोई निवासी पुजाबेरी तहसील गुड़ामालानी
43. देवाराम पुत्र पोकराराम
44. हरीराम पुत्र पोकराराम
45. किशना पुत्र भारमलराम
46. हरीराम पुत्र भारमलराम
47. भाखराराम पुत्र भारमलराम
48. लाछीदेवी पत्नी भारमलराम
    जाति विश्नोई निवासी बोलो का डेर तहसील धोरीमना।
49. किशनाराम पुत्र तेजाराम
50. जगमालराम पुत्र तेजाराम
51. रूगनाथराम पुत्र तेजाराम
52. भाखराराम पुत्र तेजाराम
53. मोटा पुत्र नारणा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:07:41 IST
Reason: SelfAttested

जाति विश्नोई निवासी चकगुड़ा तहसील गुड़ामालानी
54. किसनाराम पुत्र सोनाराम
55. निम्बाराम पुत्र सोनाराम
56. चिमू देवी पत्नी सुरताराम
57. पूनमाराम पुत्र सुरताराम
58. प्रभु पुत्र सूरताराम
59. बाबु पुत्र सुरताराम
60. जयकिशन पुत्र सुरताराम
जाति विश्नोई निवासी पुंजाबेरी तहसील गुड़ामालानी
61. जोधा पुत्र हुकमाराम
62. जगमालराम पुत्र हुकमाराम
63. धना पुत्र हुकमाराम
64. मोटा पुत्र हुकमाराम
65. लाधु पुत्र हुकमाराम
66. प्रभू पुत्र भारमलराम
67. पालु पतनी हरदानराम
जाति विश्नोई निवासी बोलो का डेर तहसील धोरीमना
68. भागीरथराम पुत्र हरदानराम
69. वरीगा पुत्र हेमा
70. दला पुत्र भोमा
71. पूनमा पुत्र भोमा
72. मगा पुत्र लाला
73. वगता पुत्र लाला
74. हरीराम पुत्र लाला
75. हरखू पत्नी लाला
76. छोगा पुत्र किशना
जाति जाट निवासी पुंजाबेरी तहसील गुड़ामालानी

............असल अप्रार्थीगण

77. शाखा प्रबन्धक पीएनबी बैक शाखा गुड़ामालानी
78. शाखा प्रबन्धक एसबीआई बैक शाखा गुड़ामालानी
79. सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार पीडब्ल्यूडी गुड़ामालानी
80. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी।

.................तकमीली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री प्रागाराम बोगराज
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:07:41 IST
Reason: SelfAttested

पाबुराम बनाम उम्मेदसिंह
2025/427
निर्णय दिनांकः—13.02.2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111, 128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 13.02.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 33/6.3212 है0, 33/2/4.6943 है0 मौजा पूंजाबेरी पटवार हल्का पीपराली तहसील गुड़ामालानी में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुड़ामालानी के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश दिनांक 13.12.2024 की पालना में दिनांक 29.04.2025 को पटवारी हल्का पीपराली द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 33/6.3212 है0, 33/2/4.6943 है0 मौजा पूंजाबेरी पटवार हल्का पीपराली तहसील गुड़ामालानी की पत्थरगढ़ी दिनांक 29.04.2025 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 29.04.2025 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:07:41 IST
Reason: SelfAttested

decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

128. Boundary disputes. *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

Provided that *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073–76 वाकै ग्राम पुंजाबेरी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुडामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम पुंजाबेरी के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 29.04.2025 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:07:41 IST
Reason: SelfAttested

विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 33 / 6.3212 है0, 33 / 2 / 4.6943 है0 मौजा पूंजाबेरी पटवार हल्का पीपराली तहसील गुड़ामालानी पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों / हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 13.02.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:07:41 IST
Reason: SelfAttested